



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 903]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 30, 2016/पौष 9, 1938

No. 903]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 30, 2016/PAUSA 9, 1938

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2016

सा.का.नि. 1193(अ).—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (1) और (2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार मध्य प्रदेश सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) पांचवा संशोधन विनियमावली, 2016 कहा जा सकेगा
- (2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे
- भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में "मध्य प्रदेश" शीर्षक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

"मध्य प्रदेश"

	राज्य सरकार के अंतर्गत वरिष्ठ शुल्क डाक	238
	मुख्य सचिव	1
	अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड	1
	महानिदेशक प्रशासन, आरसीवीपी, नोरोन्हा अकादमी, मध्य प्रदेश	1

	अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड	1
	उपाध्यक्ष, एनवीडीए	1
	कृषि उत्पादन आयुक्त	1
	अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड, मध्य प्रदेश	1
	प्रधान सचिव, मध्य प्रदेश सरकार	25
	राजस्व बोर्ड के प्रशासनिक सदस्य	1
	विकास आयुक्त	1
	मुख्य निर्वाचन अधिकारी	1
	पर्यावरण आयुक्त	1
	प्रधान आवासीय आयुक्त, मध्य प्रदेश भवन, नई दिल्ली	1
	राज्यपाल के प्रधान सचिव	1
	मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव	1
	मण्डल आयुक्त	10
	सचिव, मध्य प्रदेश सरकार	15
	सदस्य, राजस्व बोर्ड	03
	आयुक्त, वाणिज्यिक कर	01
	आयुक्त, भूमि अभिलेख और निपटान	01
	रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां	01
	निदेशक, आरसीवीपी नोरोन्हा प्रशासन अकादमी	01
	उद्योग आयुक्त	01
	श्रम आयुक्त, इंदौर	01
	आयुक्त, महिला एवं बाल विकास	01
	सचिव, लोकायुक्त, मध्य प्रदेश	01
	पंजीकरण महानिरीक्षक और टिकट अधीक्षक	01
	आबकारी आयुक्त	01
	आयुक्त, जनजातीय विकास	01
	आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण	01
	आयुक्त, पिछड़ा वर्ग कल्याण	01
	आयुक्त, सार्वजनिक अनुदेश	01

	आयुक्त, उच्च शिक्षा	01
	आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं	01
	आयुक्त, कोष और लेखा	01
	आयुक्त, जनसंपर्क	01
	आयुक्त-सह-निदेशक, शहर और नगरीय योजना	01
	सदस्य, पुनर्वास, एनवीडीए	01
	आयुक्त-सह-निदेशक, पुरातत्व और संग्रहालय	01
	आयुक्त, नगरीय प्रशासन	01
	आयुक्त-सह-निदेशक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण	01
	आयुक्त, कृषि विपणन	01
	आयुक्त-सह-निदेशक, संस्थागत वित्त	01
	आयुक्त, फ्रील्ड, एनवीडीए, इंदौर	01
	सदस्य सचिव, राज्य योजना बोर्ड	01
	राहत आयुक्त	01
	पुनर्वास आयुक्त	01
	खाद्य और औषधि प्रशासन नियंत्रक	01
	आयुक्त-सह-निदेशक हथकरघा एवं हस्तशिल्प	01
	आयुक्त पंचायती राज	01
	आयुक्त, सामाजिक न्याय	01
	अपर विकास आयुक्त	01
	आयुक्त-सह-निदेशक, भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी पद्धति	01
	प्रमुख राजस्व आयुक्त	01
	निदेशक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	01
	आयुक्त, समेकित बाल विकास सेवा, मध्य प्रदेश	01
	आयुक्त, रेशम उत्पाद	01
	आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा	01
	आयुक्त-सह-निदेशक, कौशल विकास	01
	आयुक्त, तकनीकी शिक्षा	01
	प्रबंध निदेशक, मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड जबलपुर	01
	समार्हता	51

	अपर आयुक्त, राजस्व	10
	कार्यकारी निदेशक, डीआरडीए और पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत	22
	अपर / उप सचिव, मध्य प्रदेश सरकार	20
	सचिव, लोक सेवा आयोग	01
	अपर आयुक्त, बिक्री कर	02
	अतिरिक्त आयुक्त, जनजातीय विकास	01
	निदेशक, एनवीडीए	01
	निदेशक, जनजातीय क्षेत्र का विकास और योजना	01
	अतिरिक्त आयुक्त, आबकारी	01
	सचिव, राजस्व बोर्ड, ग्वालियर	01
	निदेशक, गैस दावा	01
	सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग	01
	राज्यपाल के अतिरिक्त सचिव	01
	सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड	01
	निदेशक, बागवानी	01
	निदेशक, ग्रामीण रोजगार	01
	संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी	01
	सचिव, राज्य सूचना आयोग	01
	निदेशक, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)	01
	निदेशक, जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (डब्ल्यूएएलएमआई)	01
	कार्यपालक निदेशक, राज्य लोक सेवा अभिकरण	01
	अतिरिक्त आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास	03
	अतिरिक्त आयुक्त, उच्च शिक्षा	01
	निदेशक, राज्य आजीविका कार्यक्रम	01
	निदेशक, मत्स्य पालन	01
1	कुल वरिष्ठ झूटी पद	238
2	केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं	95
3	राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं	59
4	प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं	08
5	छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं	39

6	भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 के अधीन पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त मद 1, 2, 3 और 4 के 33 1/3 प्रतिशत से अधिक नहीं	133
7	सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (1+2+3+4+5-6)	306
	कुल प्राधिकृत पद संख्या	439"

[फा. सं. 11031/05/2016-अ.भा.से.-II (क)]

राजेश कुमार यादव, अवर सचिव

टिप्पणी (1): इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व, मध्य प्रदेश संवर्ग की कुल प्राधिकृत पद संख्या 417 थी।

टिप्पणी (2): मुख्य विनियम दिनांक 22 अक्टूबर, 1955 की एस.आर.ओ. सं. 3350 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात, इन्हें मध्य प्रदेश संवर्ग के संबंध में निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं तथा तिथियों द्वारा संशोधित किया गया :

क्रम सं	सा.का.नि. सं.	दिनांक	क्रम सं	सा.का.नि. सं.	दिनांक
1	777	27.07.74	11	198	09.05.92
2	848 (अ)	15.10.76	12	19	09.01.93
3	119 (अ)	23.02.77	13	319 (अ)	31.03.95
4	43	23.02.78	14	34	27.01.96
5	292 (अ)	15.04.81	15	739 (अ)	31.12.97
6	898 (अ)	20.12.83	16	75	04.04.98
7	684 (अ)	14.12.87	17	425	18.12.2003
8	190	26.03.88	18	774(अ)	29.12.2006
9	491	22.07.89	19	188अ	24.03.2009
10	204	07.04.90	20	921अ	30.12.2011

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, 30th December, 2016.

G.S.R. 1193(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rules (1) and (2) of rule 4 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of **Madhya Pradesh**, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely:—

- (1) These Regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Fifth Amendment Regulations, 2016.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, in the Schedule, for the heading “**Madhya Pradesh**” and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely:—

“Madhya Pradesh

	Senior Duty Posts under the State Government	238
	Chief Secretary	1
	President, Board of Revenue	1
	Director General RCVP Noronha Academy of Administration, MP	1
	Chairman, Board of Secondary Education	1
	Vice Chairman, NVDA	1
	Agriculture Production Commissioner	1
	Chairman MP Professional Examination Board	1
	Principal Secretary, Govt. of MP	25
	Administrative Member of Board of Revenue	1
	Development Commissioner	1
	Chief Electoral Officer	1
	Environment Commissioner	1
	Principal Resident Commissioner MP Bhavan, New Delhi	1
	Principal Secretary to Governor	1
	Principal Secretary to Chief Minister	1
	Divisional Commissioner	10
	Secretary Govt. of MP	15
	Member Board of Revenue	03
	Commissioner Commercial Taxes	01
	Commissioner Land Record and Settlements	01
	Registrar Co-operative Societies	01
	Director, RCVP Noronha Academy of Administration	01
	Commissioner Industries	01
	Labour Commissioner, Indore	01
	Commissioner, Women and Child Development	01
	Secretary, Lokayukta, MP	01
	Inspector General of Registration and Supdt. of Stamps	01
	Excise Commissioner	01
	Commissioner Tribal Development	01
	Commissioner Scheduled Castes Welfare	01

	Commissioner Backward Classes Welfare	01
	Commissioner Public Instructions	01
	Commissioner Higher Education	01
	Commissioner Health Services	01
	Commissioner, Treasuries and Accounts	01
	Commissioner, Public relations	01
	Commissioner-cum-Director, Town and Country Planning	01
	Member, Rehabilitation, NVDA	01
	Commissioner-Cum-Director, Archaeology and Museum	01
	Commissioner, Urban Administration	01
	Commissioner-cum-Director, Food & Civil Supplies and Consumer Protection	01
	Commissioner, Agriculture Marketing	01
	Commissioner-cum-Director, Institutional Finance	01
	Commissioner, Field, NVDA, Indore	01
	Member Secretary, State Planning Board	01
	Relief Commissioner	01
	Rehabilitation Commissioner	01
	Controller Food & Drugs Administration	01
	Commissioner Cum-Director Handlooms & Handicraft	01
	Commissioner Panchayati Raj	01
	Commissioner, Social Justice	01
	Additional Development Commissioner	01
	Commissioner-Cum-Director, Indian System of Medicine and Homeopathy	01
	Principal Revenue Commissioner	01
	Director, Public Health & Family Welfare	01
	Commissioner, Integrated Child Dev. Service, MP	01
	Commissioner, Sericulture	01
	Commissioner, Medical Education	01
	Commissioner-cum-Director, Skill Development	01
	Commissioner, Technical Education	01
	MD, MP Power Management Company Limited Jabalpur	01
	Collector	51
	Additional Commissioner, Revenue	10
	Executive Director, DRDA and Ex-Officio CEO, Zila panchayat	22
	Addl./Dy. Secretary, Govt. of MP	20

	Secretary, Public Service Commission	01
	Additional Commissioner, Sales Tax	02
	Additional Commissioner, Tribal Development	01
	Director, NVDA	01
	Director, Tribal Area Development and Planning	01
	Additional Commissioner, Excise	01
	Secretary, Board of Revenue, Gwalior	01
	Director, Gas Claims	01
	Secretary, State Election Commission	01
	Additional Secretary to Governor	01
	Secretary, Board of Secondary Education	01
	Director, Horticulture	01
	Director, Rural Employment	01
	Joint Chief Electoral Officer	01
	Secretary, State Information Commission	01
	Director, Micro, Small and Medium Enterprises (MSME)	01
	Director, Water & Land Management Institute (WALMI)	01
	Executive Director, Rajya Loksewa Abhikaran	01
	Additional Commissioner, Urban Administration & Development	03
	Additional Commissioner, Higher Education	01
	Director, Rajya Aajivika Karyakrama	01
	Director, Fisheries	01
1	Total Senior Duty Posts	238
2	Central Deputation Reserve not exceeding 40% of item 1 above	95
3	State Deputation Reserve not exceeding 25% of item 1 above	59
4	Training Reserve not exceeding 3.5% of item 1 above	08
5	Leave Reserve and Junior Posts Reserve not exceeding 16.5% of Item 1 above	39
6	Posts to be filled by promotion under Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 not exceeding 33 1/3% of Item 1, 2, 3 & 4 above	133
7	Posts to be filled up by Direct Recruitment (Items 1+2+3+4+5-6)	306
	Total Authorised Strength	439"

[F. No. 11031/05/2016-AIS-II (A)]

RAJESH KUMAR YADAV, Under Secy.

Note (1): Prior to issue of this notification, the Total Authorised Strength of Madhya Pradesh Cadre was 417.

Note (2): The principal regulations were published in the Gazette of India vide number SRO 3350 dated the 22nd October 1955 and subsequently amended in respect of the Madhya Pradesh Cadre by the following GSR No. and date:—

Sl.No.	GSR No.	Date	Sl.No.	GSR No.	Date
1.	777	27.07.74	11.	198	09.05.92
2.	848 (E)	15.10.76	12.	19	09.01.93
3.	119 (E)	23.02.77	13.	319 (E)	31.03.95
4.	43	23.02.78	14.	34	27.01.96
5.	292 (E)	15.04.81	15.	739 (E)	31.12.97
6.	898 (E)	20.12.83	16.	75	04.04.98
7.	684 (E)	14.12.87	17.	425	18.12.2003
8.	190	26.03.88	18.	774(E)	29.12.2006
9.	491	22.07.89	19.	188E	24.03.2009
10.	204	07.04.90	20.	921E	30.12.2011

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2016

सा.का.नि. 1194(अ).—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार मध्य प्रदेश सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) तृतीय संशोधन नियमावली, 2016 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016, अनुसूची II में,—

(क) तालिका में राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान से ऊपर के वेतन वाले पदों से संबंधित भाग क में, प्रथम कॉलम में आने वाली “मध्य प्रदेश” प्रविष्टि तथा दूसरे कॉलम में आने वाली तदनुसूची प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत् :-

"मध्य प्रदेश		
(1)	मुख्य सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17
(2)	अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17
(3)	महानिदेशक प्रशासन, आरसीवीपी, नोरोन्हा अकादमी, मध्य प्रदेश	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17
(4)	अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17
(5)	उपाध्यक्ष, एनवीडीए	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17
(6)	कृषि उत्पादन आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17
(7)	अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड, मध्य प्रदेश	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17

(8)	प्रधान सचिव, मध्य प्रदेश सरकार	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
(9)	राजस्व बोर्ड के प्रशासनिक सदस्य	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
(10)	विकास आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
(11)	मुख्य निर्वाचन अधिकारी	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
(12)	पर्यावरण आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
(13)	प्रधान आवासीय आयुक्त, मध्य प्रदेश भवन, नई दिल्ली	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
(14)	राज्यपाल के प्रधान सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
(15)	मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
(16)	मण्डल आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
(17)	सचिव, मध्य प्रदेश सरकार	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
(18)	सदस्य राजस्व बोर्ड	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
(19)	आयुक्त वाणिज्यिक कर	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
(20)	आयुक्त भूमि अभिलेख और निपटान	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
(21)	रजिस्ट्रार सहकारी समितियां	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
(22)	निदेशक, आरसीवीपी नोरोन्हा प्रशासन अकादमी	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
(23)	उद्योग आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
(24)	श्रम आयुक्त, इंदौर	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
(25)	आयुक्त, महिला एवं बाल विकास	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
(26)	सचिव, लोकायुक्त, मध्य प्रदेश	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
(27)	पंजीकरण महानिरीक्षक और टिकट अधीक्षक	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
(28)	आबकारी आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
(29)	आयुक्त, जनजातीय विकास	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
(30)	आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
(31)	आयुक्त, पिछड़ा वर्ग कल्याण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
(32)	आयुक्त, सार्वजनिक अनुदेश	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
(33)	आयुक्त, उच्च शिक्षा	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
(34)	आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
(35)	आयुक्त, कोष और लेखा	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
(36)	आयुक्त, जनसंपर्क	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
(37)	आयुक्त-सह-निदेशक, शहर और नगरीय योजना	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
(38)	सदस्य, पुनर्वास, एनवीडीए	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
(39)	आयुक्त-सह-निदेशक, पुरातत्व और संग्रहालय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14

(40)	आयुक्त, नगरीय प्रशासन	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
(41)	आयुक्त-सह-निदेशक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
(42)	आयुक्त, कृषि विपणन	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
(43)	आयुक्त-सह-निदेशक, संस्थागत वित्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
(44)	आयुक्त, फ्रील्ड, एनवीडीए, इंदौर	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
(45)	सदस्य सचिव, राज्य योजना बोर्ड	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
(46)	राहत आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
(47)	पुनर्वास आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
(48)	खाद्य और औषधि प्रशासन नियंत्रक	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
(49)	आयुक्त-सह-निदेशक हथकरघा एवं हस्तशिल्प	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
(50)	आयुक्त, पंचायती राज	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
(51)	आयुक्त, सामाजिक न्याय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
(52)	अपर विकास आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
(53)	आयुक्त-सह-निदेशक, भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी पद्धति	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
(54)	प्रमुख राजस्व आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
(55)	निदेशक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
(56)	आयुक्त, समेकित बाल विकास सेवा, मध्य प्रदेश	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
(57)	आयुक्त, रेशम उत्पाद	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
(58)	आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
(59)	आयुक्त-सह-निदेशक, कौशल विकास	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
(60)	आयुक्त, तकनीकी शिक्षा	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
(61)	प्रबंध निदेशक, मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड जबलपुर	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14

(ख) वेतन के अतिरिक्त विशेष भत्ते वाले पदों सहित राज्य सरकार के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में वेतन वाले पदों से संबंधित भाग ख में, तालिका में मध्य प्रदेश के अधीन आने वाली प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा,-

"मध्य प्रदेश	
(1)	समाहर्ता
(2)	अपर आयुक्त, राजस्व
(3)	कार्यकारी निदेशक, डीआरडीए और पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत
(4)	अपर / उप सचिव, मध्य प्रदेश सरकार
(5)	सचिव, लोक सेवा आयोग
(6)	अपर आयुक्त, बिक्री कर

(7)	अपर आयुक्त, जनजातीय विकास
(8)	निदेशक, एनवीडीए
(9)	निदेशक, जनजातीय क्षेत्र का विकास और योजना
(10)	अतिरिक्त आयुक्त, आबकारी
(11)	सचिव, राजस्व बोर्ड, ग्वालियर
(12)	निदेशक, गैस दावा
(13)	सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग
(14)	राज्यपाल के अतिरिक्त सचिव
(15)	सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
(16)	निदेशक, बागवानी
(17)	निदेशक, ग्रामीण रोजगार
(18)	संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
(19)	सचिव, राज्य सूचना आयोग
(20)	निदेशक, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)
(21)	निदेशक, जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (डब्ल्यूएएलएमआई)
(22)	कार्यपालक निदेशक, राज्य लोक सेवा अभिकरण
(23)	अतिरिक्त आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास
(24)	अतिरिक्त आयुक्त, उच्च शिक्षा
(25)	निदेशक, राज्य आजीविका कार्यक्रम
(26)	निदेशक, मत्स्य पालन

[फा. सं. 11031/05/2016-अ.भा.से.-II (ख)]

राजेश कुमार यादव, अवर सचिव

टिप्पणी: प्रधान नियम, तारीख 08 सितम्बर, 2016 की सा.का.नि. सं. 870(अ) के तहत भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित सा.का.नि. संख्या तथा तारीख को संशोधित किए गए:-

क्रम सं.	सा.का.नि. सं.	दिनांक
1	1062 (अ)	10.11.2016
2	1178 (अ)	27.12.2016

NOTIFICATION

New Delhi, 30th December, 2016

G.S.R. 1194(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, in consultation with the Government of **Madhya Pradesh** hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2016, namely: —

1. (1) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Third Amendment Rules, 2016.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
2. In the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2016, in Schedule II,—
- (a) in Part A relating to Posts carrying pay above the Senior Scale of pay of the Indian Administrative Service under the State Governments, in the table, for the entry “Madhya Pradesh” occurring in the first column and corresponding entries in the second column, the following shall be substituted namely:—

“MADHYA PRADESH		
(1)	Chief Secretary	Level 17 in the pay matrix
(2)	President, Board of Revenue	Level 17 in the pay matrix
(3)	Director General RCVP Noronha Academy of Administration, MP	Level 17 in the pay matrix
(4)	Chairman, Board of Secondary Education	Level 17 in the pay matrix
(5)	Vice Chairman, NVDA	Level 17 in the pay matrix
(6)	Agriculture Production Commissioner	Level 17 in the pay matrix
(7)	Chairman MP Professional Examination Board	Level 17 in the pay matrix
(8)	Principal Secretary, Govt. of MP	Level 15 in the pay matrix
(9)	Administrative Member of Board of Revenue	Level 15 in the pay matrix
(10)	Development Commissioner	Level 15 in the pay matrix
(11)	Chief Electoral Officer	Level 15 in the pay matrix
(12)	Environment Commissioner	Level 15 in the pay matrix
(13)	Principal Resident Commissioner MP Bhavan, New Delhi	Level 15 in the pay matrix
(14)	Principal Secretary to Governor	Level 15 in the pay matrix
(15)	Principal Secretary to Chief Minister	Level 15 in the pay matrix
(16)	Divisional Commissioner	Level 14 in the pay matrix
(17)	Secretary Govt. of MP	Level 14 in the pay matrix
(18)	Member Board of Revenue	Level 14 in the pay matrix
(19)	Commissioner Commercial Taxes	Level 14 in the pay matrix
(20)	Commissioner Land Record and Settlements	Level 14 in the pay matrix
(21)	Registrar Co-operative Societies	Level 14 in the pay matrix
(22)	Director, RCVP Noronha Academy of Administration	Level 14 in the pay matrix
(23)	Commissioner Industries	Level 14 in the pay matrix
(24)	Labour Commissioner, Indore	Level 14 in the pay matrix
(25)	Commissioner, Women and Child Development	Level 14 in the pay matrix
(26)	Secretary, Lokayukta, MP	Level 14 in the pay matrix
(27)	Inspector General of Registration and Supdt. of Stamps	Level 14 in the pay matrix
(28)	Excise Commissioner	Level 14 in the pay matrix
(29)	Commissioner Tribal Development	Level 14 in the pay matrix
(30)	Commissioner Scheduled Castes Welfare	Level 14 in the pay matrix
(31)	Commissioner Backward Classes Welfare	Level 14 in the pay matrix
(32)	Commissioner Public Instructions	Level 14 in the pay matrix
(33)	Commissioner Higher Education	Level 14 in the pay matrix
(34)	Commissioner Health Services	Level 14 in the pay matrix

(35)	Commissioner, Treasuries and Accounts	Level 14 in the pay matrix
(36)	Commissioner, Public Relations	Level 14 in the pay matrix
(37)	Commissioner-cum-Director, Town and Country Planning	Level 14 in the pay matrix
(38)	Member, Rehabilitation, NVDA	Level 14 in the pay matrix
(39)	Commissioner-Cum-Director, Archaeology and Museum	Level 14 in the pay matrix
(40)	Commissioner, Urban Administration	Level 14 in the pay matrix
(41)	Commissioner-cum-Director, Food & Civil Supplies and Consumer Protection	Level 14 in the pay matrix
(42)	Commissioner, Agriculture Marketing	Level 14 in the pay matrix
(43)	Commissioner-cum-Director, Institutional Finance	Level 14 in the pay matrix
(44)	Commissioner, Field, NVDA, Indore	Level 14 in the pay matrix
(45)	Member Secretary, State Planning Board	Level 14 in the pay matrix
(46)	Relief Commissioner	Level 14 in the pay matrix
(47)	Rehabilitation Commissioner	Level 14 in the pay matrix
(48)	Controller Food & drugs Administration	Level 14 in the pay matrix
(49)	Commissioner Cum-Director Handlooms & Handicraft	Level 14 in the pay matrix
(50)	Commissioner Panchayati Raj	Level 14 in the pay matrix
(51)	Commissioner, Social Justice	Level 14 in the pay matrix
(52)	Additional Development Commissioner	Level 14 in the pay matrix
(53)	Commissioner-Cum-Director, Indian System of Medicine and Homeopathy	Level 14 in the pay matrix
(54)	Principal Revenue Commissioner	Level 14 in the pay matrix
(55)	Director, Public Health & Family Welfare	Level 14 in the pay matrix
(56)	Commissioner, Integrated Child Dev. Service, MP	Level 14 in the pay matrix
(57)	Commissioner, Sericulture	Level 14 in the pay matrix
(58)	Commissioner, Medical Education	Level 14 in the pay matrix
(59)	Commissioner-cum-Director, Skill Development	Level 14 in the pay matrix
(60)	Commissioner, Technical Education	Level 14 in the pay matrix
(61)	MD,MP Power Management Company Limited Jabalpur	Level 14 in the pay matrix

(b) in Part B relating to Posts carrying pay in the Senior Scale of the Indian Administrative Service under the State Governments including posts carrying Special Allowance in addition to pay, in the table for the entries occurring under Madhya Pradesh the following shall be substituted,—

“MADHYA PRADESH		
(1)	Collector	
(2)	Additional Commissioner, Revenue	
(3)	Executive Director, DRDA and Ex-Officio CEO, Zila Panchayat	
(4)	Addl./Dy. Secretary, Govt. of MP	
(5)	Secretary, Public Service Commission	
(6)	Additional Commissioner, Sales Tax	
(7)	Additional Commissioner, Tribal Development	
(8)	Director, NVDA	
(9)	Director, Tribal Area Development and Planning	
(10)	Additional Commissioner, Excise	
(11)	Secretary, Board of Revenue, Gwalior	
(12)	Director, Gas Claims	

(13)	Secretary, State Election Commission
(14)	Additional Secretary to Governor
(15)	Secretary, Board of Secondary Education
(16)	Director, Horticulture
(17)	Director, Rural Employment
(18)	Joint Chief Electoral Officer
(19)	Secretary, State Information Commission
(20)	Director, Micro, Small and Medium Enterprises (MSME)
(21)	Director, Water & Land Management Institute (WALMI)
(22)	Executive Director, Rajya Loksewa Abhikaran
(23)	Additional Commissioner, Urban Administration & Development
(24)	Additional Commissioner, Higher Education
(25)	Director, Rajya Aajivika Karyakrama
(26)	Director, Fisheries

[F. No. 11031/05/2016- AIS-II (B)]

RAJESH KUMAR YADAV, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 870(E) dated the 08th September, 2016 and subsequently amended by the following G.S.R. No. and date:-

Sl. No.	G.S.R. No.	Date
1.	1062 (E)	10.11.2016
2.	1178(E)	27.12.2016